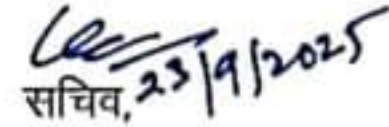


कार्यालय: सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल

पत्रांक: उ0वि0शि0प0 / यू0टी0ई0टी0-2025 / विज्ञप्ति / 11-51 / 2025-26 दिनांक 23/09/2025

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I&II) 2025 परीक्षा में परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने के सम्बन्ध में उ0वि0शि0प0 रामनगर के पत्रांक:-उ0वि0शि0प0 / यू0टी0ई0टी0 / विज्ञप्ति / 220-230 / 2025-26 दिनांक 12-09-2025 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी। यू0टी0ई0टी0 प्रथम हेतु अनुक्रमांक 1250305001 से 1250305250 तक एवं यू0टी0ई0टी0 द्वितीय हेतु अनुक्रमांक 2250305001 से 2250305280 तक के परीक्षार्थियों जिन्हें परीक्षा शहर देहरादून (शहर कोड-03) का परीक्षा केन्द्र डी0ए0वी0इ0का0 करनपुर, देहरादून (सेन्टर कोड-05) आवंटित किया गया है, को मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून/परि0 परीक्षा 11563-68 / 2025-26 दिनांक 23 सितम्बर 2025 की अनुशंसा के क्रम में परीक्षा शहर देहरादून में नवीन परीक्षा केन्द्र रा0बा0इ0का0 अजबपुर कलां, विकासखण्ड रायपुर देहरादून आवंटित किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उक्त परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया है, से अनुरोध है कि वे पुनः अपना नवीन प्रवेशपत्र डाउनलोड कर अपने नवीन आवंटित परीक्षा केन्द्र रा0बा0इ0का0 अजबपुर कलां, विकास खण्ड रायपुर, देहरादून पर परीक्षा हेतु ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
सचिव, 23/9/2025

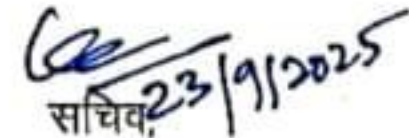
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)।



पृ0स0: उ0वि0शि0प0 / यू0टी0ई0टी0-2025 / विज्ञप्ति / 11-51 / 2025-26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक/सभापति उ0वि0शि0प0 उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- सम्पादक, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, उत्तर उजाला, राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को 8X10 cm के साईज में शासकीय दरों पर अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण (ऐसे पृष्ठ पर जिसका प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण राज्य में हो) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। बिल भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी से दरें प्रमाणित करवा कर दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। बिल के साथ समाचार पत्र की मूल प्रति भी अनिवार्यतः संलग्न करें।

  
सचिव, 23/9/2025

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)

